**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**27.07.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1258 का उत्‍तर**

**रेल के डिब्बों की खरीद**

**1258. श्री आर॰ वैद्यलिंगमः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर डिब्बों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि डिब्बों के ढांचों को रेलवे द्वारा अनुमोदित स्रोतों से ही खरीदना होगा ताकि तकनीकी मानकों को पूरा किया जा सके;

(घ) क्या यह भी सच है कि ग्राहकों को इन्हें खरीदने से पहले रेलवे से मार्ग-विशिष्ट अनुमति प्राप्त करनी होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) और (ख): जी हां। 21,758 मालडिब्बों की खरीद के लिए एक ई-निविदा जारी की गई है, जिसे 02.08.2018 को खोला जाना है ।

(ग):  जी हां।

(घ) और (ङ): रेल मंत्रालय ने हाल ही में सामान्य प्रयोजन माल डिब्बा निवेश योजना (जीपीडब्ल्यूआईएस) के संबंध में एक नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार, जीपीडब्ल्यूआई योजना के तहत शामिल किए गए रेक पूर्व अनुमोदित सर्किटों पर चलेंगे। इसमें रेलवे द्वारा यथा अनुमोदित विशिष्ट मार्ग (मार्गों) या क्लोज सर्किट (सर्किटों) पर संबद्ध लदान और उतराई प्वाइंट होंगे और अनुमोदित सर्किट में किसी भी पण्य का लदान करने की अनुमति होगी।

 कमोडिटी फ्लो के आधार पर, हर तरह के चल स्टॉक के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को क्‍लब किया जाएगा। जोनों के ऐसे ग्रुपों के अंतर्गत प्रारंभ और समाप्त होने वाले स्टॉक के लिए एंप्टी रिटर्न रेशो (ईआरआर) की गणना की जाती है और केवल उन सर्किटों को अनुमोदित किया जाता है जहां ईआरआर, जोनों के उक्‍त ग्रुप के लिए मानक ईआरआर की तुलना में बराबर या बेहतर (अर्थात् ईआरआर कम होता है) होता है ।

\*\*\*\*\*